2018 का विधेयक सं. 12

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), की धारा 28 की उप-धारा (7-क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि वह" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उसी सोसाइटी की समिति" से पूर्व, अभिव्यक्ति "राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात्" अंत:स्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप-धारा (7-क) यह उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिए निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है।

यह महसूस किया गया है कि सहकारी आंदोलन के विकास के लिए अनुभवी और सक्रिय सहकार सेवियों की भागीदारी आवश्यक है, इसलिए यह प्रस्तावित है कि समिति के सदस्य के उक्त दो कार्यकालों की गणना राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ के पश्चात् की जानी चाहिए। तदनुसार, यह प्रस्तावित है कि धारा 28 की उप-धारा (7-क) यथोचित रूप से संशोधित की जाये।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अजय सिंह,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.- (1) से (7) XX XX XX

(7-क) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिए निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है:

परन्तु समिति के लिए एक बार निर्वाचित या सहयोजित समिति के सदस्य को इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए उसका पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हुआ समझा जायेगा, यहां तक कि यदि उसे पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित या सहयोजित नहीं किया गया था या अपने पद का कार्यकाल, चाहे किसी भी कारण से, पूरा नहीं किया है।

(8) से (13) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 12 of 2018

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub-section (7-A) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No.16 of 2002), after the existing expression "for two times" and before the existing expression ",unless a period", the expression "after the commencement of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016 (Act No. 11 of 2016)" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (7-A) of section 28 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 provides that no person shall be eligible for election as a member of a committee, if he has been elected or co-opted to be a member of the committee of the same society in continuation for two times, unless a period of five years from the date of expiry of his second term as the member of such committee has elapsed.

It has been felt that the participation of experienced and active Co-operators is necessary for the growth of cooperative movement, therefore it is proposed that the said two terms of a member of a committee should be calculated after the commencement of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016. Accordingly, it is proposed that sub-section (7-A) of section 28 be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अजय सिंह,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001

(Act No. 16 of 2002)

XX XX XX XX XX XX XX

28. Disqualification of membership etc. of committees.- (1) to (7) xx xx xx xx xx xx

(7-A) No person shall be eligible for election as a member of a committee, if he has been elected or co-opted to be a member of the committee of the same society in continuation for two times, unless a period of five years from the date of expiry of his second term as the member of such committee has elapsed:

Provided that a member of a committee once elected or co-opted to the committee shall be deemed to have completed his full term for the purpose of this sub-section, even if he was not elected or co-opted for a full term of five years or has not completed his term of office for any reason whatsoever it may be.

(8) to (13) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 12

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(अजय सिंह, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 12 of 2018

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

.

_____

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

_____

Prithvi Raj,
Secretary.

(Ajay Singh, **Minister-Incharge**)